न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरविन्द कुमार पोसवाल,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

पंचायत रिवीजन संख्याः 02/2017

दायर दिनांकः 21.03.2017

निर्णय दिनांक 20.02.2020

—:अनवानः—

श्री एजन बिहारी(चारभुजानाथ) मंदिर कोठारिया, जरिये वाद मित्र

1. श्री मोहनलाल पिता शंकर लाल जी लखारा निवासी कोठारिया
2. श्री मोहनलाल पिता छगन लाल जी तैली निवासी कोठारिया
3. श्री ओमप्रकाश पिता रामचन्द्र जी दर्जी निवासी कोठारिया
4. श्री मुरलीधर पिता नाथू लाल जी आचार्य निवासी कोठारिया

तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

———प्रार्थीगण

—:बनामः—

1. ग्राम पंचायत कोठारिया जरिये सरपंच/ग्राम सेवक पदेन सचिव ग्राम पंचायत कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द
2. श्री राजू वैष्णव पिता कल्याणदास जी वैष्णव निवासी कोठारिया तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द

——विपक्षीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायत राज अधिनियम 1994, निगरानी विरूद्ध आदेश दिनांक 22.02.2016 प्रस्ताव सं0 4 ग्राम पंचायत कोठारिया जिसकी पालना में विपक्षी को दिया गया पट्टा संख्या 17 दिनांक 10.03.2016 को खारिज करने बाबत।

उपस्थितः—

1— श्री मुकेश तलेसरा, अधिवक्ता प्रार्थी/निगरानीकार

2— विपक्षी संख्या 1 अनुपस्थित

3— श्री ऋषिराज पालीवाल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित

प्रार्थी के द्वारा यह निगरानी याचिका विरुद्ध विपक्षीगण के धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम,1994 के इस न्यायालय में दिनांकः17.03.2017 को पेश की गयी हैं।

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका में यह निवेदन किया गया कि प्रार्थी/निगरानीकार का दिनांक 20.08.2015 को ग्राम पंचायत कोठरिया द्वारा अप्रार्थी सं0 02 श्री राजु वैष्णव के पक्ष मे जो पट्टा जारी किया गया है वह सम्पति मंदिर एजन बिहारी चारभुजा नाथ मंदिर की सम्पति है। राजू वैष्णव के पिता कल्याणदास वैष्णव को उक्त मंदिर में सेवा पूजा हेतु रखा गया था। मंदिर

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

के पास ही स्थित मकान में जो कि मंदिर की संपति है। कल्याणदास को अपने परिवार सहित रहने के लिए अनुमति पूर्वक दिया गया जिससे कि वह नियमित भगवान की सेवा पूजा कर सके। कल्याणदास के स्वर्गवास के बाद राजू वैष्णव ने अपना निजी मकान अलग बना दिया और इस मंदिर के मकान का पट्टा अपने नाम ग्राम पंचायत कोठारिया मे झूठा शपथ–पत्र पेश कर अपने नाम पर जारी करवा दिया। जबकि उक्त संपति मंदिर की है। जिसका पट्टा ग्राम पंचायत को जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस मंदिर व मकान में होली के बाद महिलाऐ गणगौर तक आने वाले सभी त्योहारों पर नियमित प्रतिदिन सेवा पूजा आराधना करने जाती है। लेकिन पट्टा जारी होने से राजू वैष्णव ने मकान पर ताला लगा दिया है। जिससे गांव की सभी महिलाऐ मकान मे प्रवेश नहीं कर पा रही है। सेवा पूजा आराधना नहीं कर पा रही है। मकान के बाहर ही रोड पर ही सेवा पूजा मजबूरी मे करनी पड रही है। राजू और उसका परिवार समस्त ग्रामवासियों व महिलाओं को उनकी सेवा पूजा व आराधना से महरूम कर रखा है। अतः निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा जारी किया गया पट्टा को निरस्त फरमाया जावें।

प्रार्थी/निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/गैर निगरानीकार को जरिये नोटिस सूचित किया गया व ग्राम पंचायत कोठारिया से पत्रावली तलब की गयी। अप्रार्थी संख्या 01 अनुपस्थित एवं अप्रार्थी संख्या 02 की ओर अधिवक्ता ने दिनांक 20.04.2017 को अपनी उपस्थिति दी व जवाब प्रस्तुत किया।

अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी याचिका में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बहस मे बताया कि दिनांक 20.08.2015 को ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा अप्रार्थी सं0 02 श्री राजु वैष्णव के पक्ष मे जो पट्टा जारी किया गया है वह सम्पति मंदिर एजन बिहारी चारभुजा नाथ मंदिर की सम्पति है। राजू वैष्णव के पिता कल्याणदास वैष्णव को उक्त मंदिर में सेवा पूजा हेतु रखा गया था। मंदिर के पास ही स्थित मकान में जो कि मंदिर की संपति है। कल्याणदास को अपने परिवार सहित रहने के लिए अनुमति पूर्वक दिया गया जिससे कि वह नियमित भगवान की सेवा पूजा कर सके। कल्याणदास के स्वर्गवास के बाद राजू वैष्णव ने अपना निजी मकान अलग बना दिया और इस मंदिर के मकान का पट्टा अपने नाम ग्राम पंचायत कोठारिया मे झूठा शपथ–पत्र पेश कर अपने नाम पर जारी करवा दिया। जबकि उक्त संपति मंदिर की है। जिसका पट्टा ग्राम पंचायत को जारी करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस मंदिर व मकान में होली के बाद महिलाऐ गणगौर तक आने वाले सभी त्योहारों पर नियमित प्रतिदिन सेवा पूजा आराधना करने जाती है। लेकिन पट्टा जारी होने से राजू वैष्णव ने मकान पर ताला लगा दिया है। जिससे गांव की सभी महिलाऐ मकान मे प्रवेश नहीं कर पा रही है। सेवा पूजा आराधना नहीं कर पा रही है। मकान के बाहर ही रोड पर ही सेवा पूजा मजबूरी मे करनी पड रही है। राजू और उसका परिवार समस्त ग्रामवासियों व महिलाओं को उनकी सेवा पूजा व आराधना से महरूम कर रखा है। प्रकरण में ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा दिनांक 21.03.2017 की रिपोर्टानुसार उक्त पट्टा भूलवश गलती से जारी होने पर प्रस्ताव सं0 3 दिनांक 17.03.2016

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

के तहत पट्टा निरस्ती करने का प्रस्ताव पारित किया हैं। ऐसी स्थिति में निगरानीकार की निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा जारी किया गया पट्टा को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं ग्राम पंचायत कोठारिया की पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्रकरण में ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 को जारी किया गया पट्टा मंदिर एजन बिहारी चारभुजा नाथ मंदिर की सम्पति है। जिसका पट्टा ग्राम पंचायत कोठारिया को जारी करने का कोई कानूनन अधिकार नही हैं। साथ ही ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा दिनांक 21.03.2017 की रिपोर्टानुसार उक्त पट्टा भूलवश गलती से जारी होने पर प्रस्ताव सं0 3 दिनांक 17.03.2016 के तहत पट्टा निरस्ती करने का प्रस्ताव पारित किया हैं। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में मंदिर की सम्पत्ति पर अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर गलत तरीके से आक्षेपित पट्टा जारी किया जाना प्रकट होता है। जिसकी पुष्टि ग्राम पंचायत कोठारिया के पत्र दिनांक 21.03.2017 मे वर्णित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 17.03.2016 से भी होती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार किये जाने योग्य होकर ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी आक्षेपित पट्टा खारिज किये जाने योग्य होना पाया जाता है।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत कोठारिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 17 दिनांक 10.03.2016 को निरस्त किया जाता है। ग्राम पंचायत को निर्णय की प्रति मय पत्रावली को लौटायी जावें।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 20.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)